न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2017 अपील

उनवान

श्री रामकुंवार पिता भूरा मीणा निवासी नाडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा (राज0)
––अपीलार्थी

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर बप्रकरण संख्या 415/2016 सरकार बनाम रामकुंवार मीणा अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0एक्ट निर्णय दिनांक 06.10.2016

उपस्थित :– श्री मनीष कांटिया अधि0 अपीलान्ट की ओर से
राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 14.03.2017

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवार हल्का धोड़ तहसील जहाजपुर ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम गोगा का खेड़ा के आराजी नम्बर 391/163 रकबा 06 बीघा भूमि किस्म गेमू मंगरी पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर उड़द मक्का की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया। अतः अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही फरमायी जावे। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 06.10.2016 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 3.00 रूपये का 50 गुणा 150/– रूपये आर्थिक जुर्माना अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया कि माननीय तहसीलदार साहब जहाजपुर द्वारा दिये गये निर्णय/दण्ड आदेश पारित करने में कानूनी भूल

की है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.10.2016 की तारीख नियत की गयी व उसी दिन अपीलार्थी की अनुपस्थिति में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया व अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा उक्त जमीन से कब्जा छोड दिया है। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान लेकर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है । अपीलार्थी गरीब व्यक्ति होकर भूमिहीन व्यक्ति है व उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी के पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं है। अपीलार्थी द्वारा शास्ति भी नियमानुसार जमा करा दी गयी है जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों में यह भी अनुरोध किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी दिनांक 7.12.2016 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई तभी आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 08.12.2016 को आदेश की नकल प्राप्त हुई इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील अन्दर अवधि है। फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब दिनांक 06.10.2016 से 16.12.2016 के मध्य की अवधि को क्षमा कराने के लिए दफा–5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद अवधि के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा दिनांक 06.10.2016 से 16.12.2016 के मध्य की विलम्ब अवधि को क्षमा करते हुए अपील को समयावधि में शुमार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया ।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 19.12.2016 को अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 06.01.2017 को दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर की पत्रावली संख्या 415/16 आदेश दिनांक 06.10.2016 प्राप्त हुई।

रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर प्रकरण को बहस हेतु रखा गया। बहस हेतु नियत दिनांक 14.03.2017 को दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट के द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया । बहस में राजकीय अभिभाषक ने अपीलान्ट की बहस के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनकर आदेश पारित किया है जो नियमों के परिपेक्ष्य में उचित होने से अपीलान्ट की अपील खारीज योग्य है। अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पश्चातवर्ती होने तथा विगत वर्ष मे भी अतिक्रमण किया जिसे मिसल कायम कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया एवं शास्ति आरोपित करने का निर्णय पारित किया परन्तु इस वर्ष अपीलान्ट ने पुनः अतिक्रमण कर राजकीय नियमों की अवहेलना की है। अतः अपीलान्ट खारीज फरमाते हुए तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय बहाल रखाने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के मियाद अधिनियम के खण्डन में विपक्षी की ओर से किसी प्रकार का जवाब अथवा शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थी(अपीलान्ट) के प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता है। अतः दफा–5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अब अपील मेमो पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा रहा है। अपीलान्ट के द्वारा अपील के तथ्यों की ताईद में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह सिद्ध होता हो कि जैरबहस आराजी नं0 391/163 रकबा 6.00 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं रहा जबकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर की पत्रावली संख्या 415/2016 आदेश दिनांक 06.10.2016 के साथ संलग्न ग्राम गोगा का खेड़ा पटवारी हल्का धौड़ की रिपोर्ट अनुसार आ0नं0 391/163 रकबा 278–19 बीघा किस्म गेमु मगरी में से 6.00 बीघा भूमि पर सम्वत् 2073 में अतिक्रमण कर 3.00 बीघा में मक्की की काश्त

एवं 3.00 बीघा भूमि में उड़द की काश्त कर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अपीलान्ट का यह कथन मिथ्या एवं निराधार है कि उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया अपीलान्ट के द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया जिसमें अंकित किया कि दिनांक 6.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित कर दिया जिसकी जानकारी न्यायालय में दिनांक 7.12.2016 को उपस्थित होने पर हुई परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि अपीलान्ट न्यायालय में किस कार्य के लिए न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा इस प्रकरण की जानकारी किसके द्वारा उसे दी गई कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। अपीलान्ट पूर्णतया यह जानता था कि उसके द्वारा राजकीय भूमि आ0नं0 391/163 में 6.00 बीघा भूमि पर जो अतिक्रमण किया है उसके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में दर्ज होकर उसके खिलाफ कार्यवाही जैरकार है। ऐसी स्थिति में उसके नियत तिथि को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना एवं पटवारी रिपोर्ट के खण्डन हेतु साक्ष्य में स्वतंत्र गवाहों के शपथ–पत्र या जवाब प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं समझा। क्योंकि अतिक्रमित रकबे पर अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना जो लिया जाता है वह मात्र लगान का 50 गुणा तक लिया जाता है जो कि अतिक्रमित रकबे से ली जाने वाली फसल कीमत से शून्य के बराबर होता है इसलिए किसी भी अतिक्रमी को एक बार बेदखल किए जाने पर भी वह बार–बार अतिक्रमण करने का प्रयासरत रहता है जैसाकि इस प्रकरण में भी अपीलान्ट के द्वारा विगत वर्ष में भौतिक रूप से बेदखल किए जाने के उपरान्त भी पुनः अतिचार कर नियमों की अवहेना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजकीय भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य न्याय सिद्धान्तों एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य पाई जाती है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 व धारा 91 में तहसीलदार जहाजपुर, बमामले सरकार बनाम रामकुंवार पिता भूरा मीणा नि0 नाडिया प्रकरण संख्या 415/2016 पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या

415/2016 पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 को यथावत रखा जाता है तथा तलबिदा रिकॉर्ड पुनः लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/03/17

(एल0आर0गुगरवाल)
अति0जिला कलक्टर,
भीलवाडा